

मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1993 सत्र

विनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 (पौष 9, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री भीकाजी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन का उल्लेख

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे।

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

- (क) अधिसूचना क्र. ए-3/27/91/विक/पांच (60), दिनांक 3.9.91
- (ख) अधिसूचना क्र. ए-3/3/87/विक/पांच (13), दिनांक 27.1.92
- (ग) अधिसूचना क्र. ए-3/40/88/विक/पांच (14), दिनांक 27.1.92
- (घ) अधिसूचना क्र. ए-3/5/92/विक/पांच (42), दिनांक 30.3.92
- (ङ) अधिसूचना क्र. ए-3/40/88/विक/पांच (80), दिनांक 21.7.92
- (च) अधिसूचना क्र. ए-3/5/92/विक/पांच (2), दिनांक 8.1.93;

तथा मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

- (क) अधिसूचना क्र. ए-13/1/91/विक/पांच (61), दिनांक 6.9.91
- (ख) अधिसूचना क्र. ए-3/41/विक/पांच/91 (81), दिनांक 20.11.91
- (ग) अधिसूचना क्र. ए-3/28/91/विक/पांच (92), दिनांक 30.12.91
- (घ) अधिसूचना क्र. ए-5/6/90/विक/पांच (45), दिनांक 30.3.92
- (ङ) अधिसूचना क्र. ए-3/2/92/विक/पांच (75), दिनांक 2.6.92
- (च) अधिसूचना क्र. ए-3/2/92/विक/पांच (101), दिनांक 29.9.92
- (छ) अधिसूचना क्र. ए-3/6/92/विक/पांच (III), दिनांक 11.11.92
- (ज) अधिसूचना क्र. ए-3/41/91/विक/पांच (12), दिनांक 12.2.93
- (झ) अधिसूचना क्र. ए-3/6/93/विक/पांच (59), दिनांक 7.7.93

पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रत्नेश सौलोमन, राज्यमंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति -

(क) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, भोपाल का 32 वां, 33 वां एवं 34 वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 पटल पर रखेंगे।

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, भोपाल की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे।

(ग) बैट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (क्रमांक-54 सन् 1985) की धारा 72 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-45-93-उन्नीस-2, दिनांक 10 नवम्बर, 1993 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के सतांबा ग्राम के पास एक द्रक पलटने से कई लोगों की हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम रजगत और श्वेता में डैकेती की घटना होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मिलावटी सुपर फास्फेट खाद वितरित कराई जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री मनीष कुंजाम, बृजमोहन अग्रवाल, विक्रम सिंह उसेडी, सदस्य, जगदलपुर जिले के ग्राम धनौरा में बारूदी सुरंग से मृत पुलिस कर्मियों की जांच में निरपराध आदिवासियों से हुई मारपीट की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर नगर निगम को राज्य शासन से चुंगी की बकाया राशि न मिल पाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, इन्दौर में एक हत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न विश्वास की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील कार्यालय में पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री ओंकार प्रसाद तिवारी, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम चमारी में डैकेतों द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग कार्यालय द्वारा जनहित के कार्यों में की जा रही उपेक्षा की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, सतना जिले के जैतवारा रिश्त लघु उद्योग इकाइयों में श्रमिकों के हो रहे शोषण की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री पुरनमल शर्मा, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम जबगांव में हुई लूट की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल की बैरसिया एवं हुजूर तहसील के अनेक क्षेत्रों में किसानों को विद्युत कनेक्शन न मिल पाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री जसवंत सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को पर्याप्त बिजली न मिल पाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के अनेक क्षेत्रों से काम की तलाश में मजदूरों के हो रहे पलायन की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- 3 -

(15) डा. रामलखन सिंह, सदस्य, भिड जिले के अकोदा नगर पालिका अधिकारी द्वारा धार्मिक स्थलों की कराई गई तोड़ फोड़ की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(16) श्री सोबरन सिंह मार्वई, सदस्य, गांधी सागर बांध से चंबल नहर में पानी न आने के कारण सिंचाई कार्य प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(17) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम बानमोबढ़ी में एक व्यक्ति की हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(18) श्री बच्चन नाथक, सदस्य, जबलपुर जिले के अनेक क्षेत्रों में काम के अभाव में श्रमिकों के हो रहे पलायन की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य -

(क) सेमरिया से बिरसिहपुर मार्ग को सेमरिया से गेरुआर (रीवा जिला सीमा तक) 10 कि.मी का गिट्टीकरण करवाने ; एवं

(ख) रीवा जिले के रीवा बनकुइयां मार्ग के वकिया के आगे 10 कि.मी. सेमरिया तक रोड बनवाने,

के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करेगे।

निर्धारित समय

5. वर्ष 1993-94 की प्रथम अनुप्रक्रम मांगों पर मतदान

3.00 बजे श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
तक

1 घन्टा

30. मिनट

"दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 70, 72 एवं 74 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार सौ सात करोड़, नित्रयानवें लाख, सात हजार, पाँच सौ रुपये की अनुप्रक्रक राशि दी जाय।

6. शासकीय विधि विवरण कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1993 (क्रमांक 2 सन् 1993) का पुरास्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

3 घन्टे

(2) श्री प्रताप सिंह बघेत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1993) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :
दिनांक : 29 दिसम्बर, 1993

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

* अनुप्रक्रक मांगों का प्रस्ताव पारित होने के तुरन्त पश्चात्.